भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 579

गुरूवार, 23 जुलाई, 2026/ 1 श्रावण, 1948 (शक)

असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

579 # श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में लाने हेतु अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में देश में राज्य-वार कुल कार्यबल का कितना प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कवरेज के अंतर्गत है; और

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं, घरेलू कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक एकल ढांचे में समेकित और सरलीकृत करना तथा संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफॉर्म और स्व-नियोजित कामगारों सहित सभी कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना है। यह संहिता सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करके, विभिन्न रोजगारों और राज्यों के बीच लाभों की सुवाह्यता को बढ़ावा देकर, केंद्र और राज्य सरकारों को उपयुक्त योजनाएं तैयार करने में सक्षम बनाकर, कुशल वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, और श्रम बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्यबल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारों, नियोक्ताओं और एग्रीगेटरों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

भारत ने सामाजिक सुरक्षा दायरे के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के नवीनतम आईएलओएसटीएटी डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा वर्ष 2015 के 19 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.3 प्रतिशत हो गया है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में भारत का यह विस्तार डिजिटल और वित्तीय समावेशन की सुदृढ़ नींव के माध्यम से संभव हुआ है।

जारी/2-

असंगठित क्षेत्र के कामगारों तक सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डेटाबेस(एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए दिनांक 26.08.2021 को ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की है। आज की तारीख तक, 31.78 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाता है।

असंगठित कामगारों को सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन भी कवर किया जा रहा है। प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): यह 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के असंगठित कामगारों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इसमें अंशदाता, प्रवेश की आयु के आधार पर 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच अंशदान करता है, और सरकार भी इसके बराबर की राशि का अंशदान करती है। अंशदाता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होती है।

व्यापारियों और स्वनियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस-ट्रेडर्स): यह 1.5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले और 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के दुकानदारों, व्यापारियों और स्वरोजगार युक्त व्यक्तियों के लिए एक पेंशन योजना है, जो सरकार द्वारा समान अंशदान के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई): यह एक जीवन बीमा योजना है जो 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु के लिए 2 लाख रुपये का जीवन कवर प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): यह एक दुर्घटना बीमा योजना है जो 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना जनित मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपये का कवरेज प्रदान करती है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई): एपीवाई के अधीन, 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक इसमें शामिल होने के पात्र हैं, बशर्ते कि वे आयकर दाता न हों। अंशदाता 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं, बशर्ते कि उस आयु तक सभी देय अंशदान किए गए हों।

यह योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी और वर्तमान में यह अपने संचय चरण में है। एपीवाई के अधीन पहले पेंशन भुगतान की शुरुआत वर्ष 2035 से होगी, क्योंकि वर्ष 2015 में 40 वर्ष की आयु में नामांकित होने वाले अंशदाता वर्ष 2035 में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे और पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। तदनुसार, वर्तमान में एपीवाई के अधीन कोई भी वरिष्ठ नागरिक कवर नहीं है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 15.07.2026 तक एपीवाई के अधीन कुल नामांकन लगभग 9.36 करोड़ है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई): यह 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है, जो सरकार द्वारा समान अंशदान के साथ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करती है।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई): यह एक प्रमुख स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कामगारों की एक बड़ी संख्या शामिल है।

पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफ़ॉर्म कामगारों' की परिभाषा और उनसे संबंधित उपबंधों का प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में किया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई है।

यह संहिता जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाओं, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है। यह संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का प्रावधान करती है। इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

इसके अलावा, दिनांक 08.05.2026 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2026, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों तक औपचारिक सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम केंद्र सरकार के पोर्टल पर गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाकर, एग्रीगेटरों द्वारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कामगारों से संबंधित डेटा साझा करने की आवश्यकता को लागू करके, सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करके और ऐसे कामगारों के लिए कल्याणकारी उपायों के संबंध में एग्रीगेटरों की जवाबदेही को सुदृढ़ करके इस संहिता के प्रावधानों को क्रियान्वित करते हैं।

******